24.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1/1, 1/2,1/4, 3, 6 से 8 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 1/3, 2, 4, 5 जरिये वकील उपस्थित आए। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण को भी सुना गया।

हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी ख0नं0 82 रकबा 1.49 है0 ग्राम सांगरवा तह0दांतारामगढ़,सीकर में स्थित है, जिसका गत ख0नं0 85 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा है। विवादित ख0नं0 106 लगायत 126 गै0मु0 आबादी ख0नं0 105 कुल किता 22 कुल रकबा 2.84 है0 तन ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़, सीकर में स्थित है, जिनके गत ख0नं0 102 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा है। वादीगण व प्रति0सं0 1 ता 5 व 9 ता 11 का सजरा खानदान पैरा सं0 4 है। उक्त भूमियां वादीगण व प्रति0सं0 1ता 5 व 9 ता 11 के पूर्व स्व0 हरदेवा से प्राप्त भूमियां है, जिनका विभाजन वादीगण के पूर्वज गोपी व प्रति0 के पिता जोधा ने अपने जीवनकाल में कर लिया था व बाहमी बंटवारे अनुसार गत ख0नं0 85 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर वादीगण व प्रति0सं0 9 ता 11 का पूर्वज गोपी काबिज काश्त हुआ व अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आया व उसकी मृत्यु के बाद उसके जांयदा पुत्र वादी सं0 7 व मृतक कालूराम पुत्र कला पति व पिता वादीगण सं0 1 ता 6 व प्रति0सं0 9 ता 11 काबिज काश्त हुए व उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके हक हिस्से की 1/2 भाग की भूमि पर वादीगण सं0 1 ता 6 व प्रति0सं0 9 ता 11 वारिसान होने से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। वादीगण का पूर्वज गोपी बडा होने से उसे कमजोर व दूर भूमि दी गई थी व प्रति0सं0 1 ता 5 के पिता जोधा को वाद के पैरा सं0 2 में वर्णित भूमियां जो काफी कीमती व उपजाउ भूमियां थी बाहमी बंटवारे में दी गई, जिस पर वे अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त चले आये व उनकी मृत्यु पर विरासत के आधार पर प्रति0सं0 1 ता 5 काबिज काश्त चले आ रहे है। पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी ग्राम सांगरवा की आबादी के नजदीक होकर संपूर्ण भूमियां आबादी के उपयोग में आ रही है व प्रति0सं0 1 ता 5 को अपने पिता जोधा को बाहमी बंटवारे में मिली भूमियों का अधिकांश अर्थात् करीब–करीब संपूर्ण भूमियां कच्ची पक्की लिखापढी से व नोटेरी द्वारा इकरारनामों से विक्रय कर दी है व केतागण अपनी आवासीय गुवाडिया बनाकर आबाद चले आ रहे है। वाद के पैरा सं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीसं0 9 ता 11 अपने पूर्वज

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

गोपी के समय से ही संपूर्ण रकबे पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है व अपनी भूमि को नदी के पाट के रूप में भी उसे काश्त योग्य बनाया है व शांतिपूर्वक बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी सं0 3 ग्यारसीलाल भू माफिया गिरोह के लोगों के संपर्क में है व भूमिया क्रय विक्रय का धंधा करता है। वर्तमान में भूमियों की कीमती काफी बढ गई है व वाद के पैरा सं0 1 में वर्णित भूमि भी अब आबादी के नजदीक आ चुकी है व प्रतिवादीगण ने वाद के पैरा सं0 2 में वर्णित भूमियां लगभग संपूर्ण विक्रय कर दी है व अब उनके मन में लालच आ गया है व वाद के पैरा सं0 1 में वर्णित विवादित आराजी में वादीगण व प्रति0सं0 9 ता 11 के अकेलों के अधिकार को इंकार कर रहे है। खातेदारी दुरूस्ती करवाने में भी आनाकानी कर रहे है। अतः वादीगण को दावा उद्घोषणा करना आवश्यक हुआ है।

अप्रार्थी सं0 1/3, 2, 4, 5 ने जवाब आवेदन पेश कर विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 82 रकबा 1.49 है0 ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़, सीकर स्थित है, जिसका गत ख0नं0 85 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा है। विवादित आराजी ख0नं0 विवादित ख0नं0 106 लगायत 126 गै0मु0 आबादी ख0नं0 105 कुल किता 22 कुल रकबा 2.84 है0 तन ग्राम सांगरवा तह0 दांतारामगढ़, सीकर में स्थित है, जिसके गत ख0नं0 102 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा है। पैरासं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण व प्रति0सं0 9 ता 11 का 1/2 हक, हिस्सा एवं खाता कब्जा काश्त है तथा शेष 1/2 हिस्से का खाता कब्जा काश्त अप्रार्थीसं0 1 ता 5 का है तथा पक्षकार राजस्व रिकार्ड जमाबदी दर्ज हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमियों में 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 9 ता 11 व इनके पूर्वज गोपी का तथा 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 ता 5 व इनके पूर्वज जोधा का तथा शेष 1/2 हिस्सा अन्य खातेदारों का रहा है। प्रार्थीगण व प्रति0सं0 9 ता 11 व इनके पूर्वज गोपी कालू व जगदीश ने उपरोक्त वर्णित भूमियों में से अपने हिस्से की भूमियों को कच्ची लिखावटों व मौखिक रूप से बेचान करके भिन्न व्यक्तियों का कब्जा करवा दिया है और अब प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ जाने के कारण उन्होंने माननीय न्यायालय के समझ झूंठा दावा व आवेदन पेश किया है। पैरा सं0 1 में वर्णित भूमियों का प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 तथा 9 ता 11 व इनके पूर्वज गोपी व जोधा के मध्य कभी भी बाहमी विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। प्रार्थीगण झूंठे कथित बाहमी बंटवारे की आड में मान0 न्यायालय से किसी तरह की उद्घोषणा प्राप्त करने व जवाबदाता रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार को पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है। जवाब आवेदन पेश कर प्रार्थीगण आवेदन विरूद्ध अप्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि विवादित भूमियां पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। मूल वाद वर्तमान में साक्ष्य में विचाराधीन है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के अनुसार मेरिट के आधार पर वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र अं0 धारा 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 82 रकबा 1.49 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner